

भारत से विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए उन्हें (दिनांक 2.12.2005 के दिशानिर्देशों के अपलिंग करने संबंधी खण्ड 7.1 का संदर्भ) अस्थायी रूप से अपलिंग करने की अनुमति के लिए आवेदन

सेवा में,

सचिव,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

विषय : भारत से विभिन्न कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से अपलिंग करने की अनुमति के लिए आवेदन (आवेदन किसी कार्यक्रम को अपलिंग करने की तारीख से 15 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

1.	आवेदक का ब्यौरा	
2.	i) पता	
	ii) टेलीफोन नं.	
	iii) फैक्स नं.	
	iv) ई-मेल आईडी	
3.(क)	कार्यक्रम का ब्यौरा और स्वरूप	
3.(ख)	क्या कार्यक्रम आयोजित करने वाले अभिकरण ने आवेदक को कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का सीधा प्रसारण करने के लिए प्राधिकृत किया है (इनका दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है)	

4.(क) जांच प्रसारण इत्यादि (यदि अपेक्षित हो) और अन्य ब्यौरे सहित वह अवधि जिसके लिए अपलिंक करने की अनुमति मांगी गई है :

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की अवधि	दिनों की कुल संख्या	समय-अवधि	अपलिंक करने का स्थान

4.(ख)	डाऊनलिंक करने वाले स्थान (स्थानों का ब्यौरा)	
-------	----------------------------------------------	--

5. क्या कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित है :

क) समाचार और वर्तमान घटनाक्रम	
ख) मनोरंजक घटनाएं	
ग) खेलकूद घटनाएं	
घ) धार्मिक घटनाएं	
ड.) कोई अन्य घटनाएं	

6.	क) क्या यह कार्यक्रम भारतीय दर्शकों के लिए है अथवा अन्य दर्शकों के लिए (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
	ख) घटनाक्रम/रिपोर्टिंग की भाषा	
	ग) उस चैनल का नाम जिस पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा (यदि आवेदक का अपना चैनल नहीं है तो संबंधित चैनल से प्राप्त स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया जाए)	

7. सीधे अपलिंक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपस्कर :

क) एसएनजी/डीएसएनजी/प्रसारण टर्मिनल	
ख) ऑप्टिक फाइबर	
ग) कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

8. उस अभिकरण का नाम जिससे उपर्युक्त उल्लिखित उपस्कर किराए पर लिया जाना है (उक्त उद्देश्य के लिए संबंधित अभिकरण से उस उपस्कर को प्राप्त करने संबंधी पुष्टि पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए)

9. 7(क) और (ग) के मामले में जारी किए गए लाइसेंस/अनुमति का ब्यौरा सेवा प्रदाता को प्रदान किया जाए (एमआईबी/डीओटी अनुमोदन/पत्र संख्या तथा तारीख का उल्लेख किया जाए)

10.(क) क्या चैनल पर एसएनजी/डीएसएनजी/प्रसारण टर्मिनल से प्रत्यक्ष अपलिंक की व्यवस्था है अथवा इसका उपयोग अंशदायी लिंक के रूप में किया जाएगा और इसके बाद टेलीपोर्ट से सीधे अपलिंक किया जाएगा

10.(ख) यदि अंशदायी लिंक का उपयोग किया गया है तो उस टेलीपोर्ट का ब्यौरा दिया जाए जिस पर सिग्नल को डाऊनलिंक किया जाएगा

11. अंतरिक्ष क्षमता (यदि डीएसएनजी/एसएनजी/प्रसारण टर्मिनल सेवा प्रदाता द्वारा अथवा सीधे अपलिंक नहीं किया गया है तो उपग्रह क्षमता प्रदाता से प्राप्त पत्र संलग्न करें) :

उपग्रह का नाम	बैण्डविथ/बारम्बारता	सिग्नल क्षमता	बैण्ड (सी/केयू)

12.

क्या आवेदक पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) से प्रत्यायित है। यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करे	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

13. मैं समय-समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अपलिक निर्देशों और अन्य लागू कानूनों में किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं कार्यक्रम की रिकार्डिंग को प्रसारण की तारीख से 3 माह की अवधि के लिए अपलिक करने के लिए सुरक्षित रखूंगा और जब भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इनकी मांग की जाएगी इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के तहत अपेक्षाओं को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा यह वचन देता हूँ कि मैं इनका अनुपालन करूंगा और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन/अनुमति प्राप्त कर ली गई है/कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्राप्त की जाएगी।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम :

पदनाम :

कम्पनी की मोहर :

मोबाइल नं.